न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– जितेन्द्र कुमार पाण्डे, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 16/2019

तारीख निर्णय–14.08.2019

उनवान

श्री सगतसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत निवासी कमोल के बजाय

1/1 श्री गोपालसिंह पिता सगतसिंह राजपूत निवासी कमोल तहसील गोगुन्दा।

1/2 श्री गुलाबसिंह पिता सगतसिंह राजपूत निवासी कमोल तहसील गोगुन्दा।

1/3 श्री हेमसिंह पिता सगतसिंह राजपूत निवासी कमोल तहसील गोगुन्दा।

1/4 श्री भीमसिंह पिता पिता सगतसिंह राजपूत निवासी कमोल तहसील गोगुन्दा।

1/5 बसन्ती बाई पिता सगतसिंह राजपूत निवासी कमोल तहसील गोगुन्दा।

1/6 पेमी बाई पत्नी सगतसिंह राजपूत निवासी कमोल तहसील गोगुन्दा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री केशुलाल पिता शिवलाल महाजन निवासी कमोल तहसील गोगुन्दा।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री पुरूषोतम पुरी गोस्वामी

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगणो के पिता ने एक वाद धारा 88 दुरूस्ती बावत् उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुर में पेश किया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी महोदय गिर्वा द्वारा दिनांक 30.06.2001 को निर्णित कर दिया गया। उक्त वाद पत्र में आराजी संख्या 4783 रकबा 0.0250 है0 अंकित किया हुआ है एवं निर्णय भुलवश आराजी संख्या 4783 रकबा 0.0250 के बजाय 4383 रकबा 0.0250 है0 अंकित कर दिया गया है, जबकि वादपत्र में 4783 ही अंकित है। वर्तमान जमाबन्दी में भी 4783 रकबा 0.0250 है0 ही अंकित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय दिनांक 30.06.2001 में सहवन से आराजी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

4383 अंकित कर दिया गया है, जिसे संशोधन कर 4783 अंकित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.06.2001 में आराजी संख्या 4383 के बजाय 4783 अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं मूल प्रकरण संख्या 144/2000 का अवलोकन किया। प्रार्थी/वादी द्वारा अपने वाद पत्र में आराजी संख्या 4783 रकबा 0.0250 है0 भूमि को अपने नाम घोषित कराये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था एवं वादी का वाद स्वीकार भी किया गया था, परन्तु आदेश में आराजी संख्या 4783 के बजाय 4383 अंकित किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/वादी अधिवक्ता की बहस एवं मूल प्रकरण के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना है एवं प्रकरण संख्या 144/2000 निर्णय दिनांक 30.06.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय में मौजा कमोल तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 4383 रकबा 0.0250 है0 के बजाय आराजी संख्या 4783 रकबा 0.0250 है0 किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

14/8/19

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner